संख्या- 93/2015/221/22-4-15-13जी/11टीसी

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 **लखनऊ दिनांक- 29 मार्च, 2015**

विषय- द्वितीय चरण में प्रदेश की कारागारों में वीडियो कान्फ्रेसिंग उपकरणों/कनेक्टिविटी उपकरणों की व्यवस्था हेतु परिशोधित लागत की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-39976/आधु0-1/वीका/2014, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 एवं पत्र संख्या-5226/आधु0-1/वीसी/2014, दिनांक 18 फरवरी, 2014 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-283/22-4-14-13जी/2011टी0सी0, दिनांक 31 मार्च, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वितीय चरण में प्रदेश की कारागारों में वीडियो कान्फ्रेसिंग उपकरणों/कनेक्टिविटी उपकरणों की व्यवस्था हेतु रू0 19,22,39,219/-(रूपये उन्नीस करोड़ बाइस लाख उनतालिस हजार दो सौ उन्नीस मात्र) की लागत पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए मूल स्वीकृति लागत रू0 13,59,09,000/- के सापेक्ष अन्तर की धनराशि रू0 5,63,30,219/-(रूपया पॉच करोड़ तिरसठ लाख तीस हजार दो सौ उन्नीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उपकरणों का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं सुसंगत नियमों तथा संगत शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा। इसका दायित्व वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ का होगा।

(2) धनराशि जिस प्रायोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसी पर व्यय की जायेगी तथा उपकरणों के क्रय के बाद यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजाकोष में जमा कर दी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.3.15 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

(4) सम्बन्धित संस्था द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उन्हे स्थापित करने एवं उसके रखरखाव का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(5) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय -800-अन्य व्यय-16- प्रदेश के कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली की स्थापना-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में शासनादेश संख्या- 221(2)/22-4-15, दिनांक 13.03.15 द्वारा पुनर्विनियोग(प्रति संलग्न) के माध्यम से व्यवस्थित करायी गयी धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या- ई-12-462/दस-2015, दिनांक 29 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-**93**/2015/221(1)/22-4-2015-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) इन्चार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, मा0 न्यायालय, लखनऊ बेन्च, लखनऊ।
(6) उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in